फाइल सं. ई-11016/01/2021-हिंदी/249

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग

नई दिल्ली, दिल्लीः 23.10.2023

विषयः राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 88वीं बैठक का आयोजन।

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 88वीं बैठक आर्थिक सलाहकार एवं राजभाषा प्रभारी की अध्यक्षता में दिनांक **26.10.2023 (गुरूवार) को 04:00 बजे (अपराह्न)** समिति कक्ष, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली की सम्मेलन कक्ष में होनी निश्चित हुई है। बैठक की कार्यसूची संलग्न है। कृपया इस बैठक में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।

संलग्नक यथोपरि

अनिल कुमार 23-10-2023

(अनिल कुमार)
सहायक निदेशक (रा.भा.)
दूरभाष: 23310408

सेवा में,

1. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सभी सदस्य (सभी उपसचिव, अवर सचिव तथा अनुभाग अधिकारी)।
2. आर्थिक सलाहकार एवं राजभाषा प्रभारी, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, के निजी सचिव को सूचनार्थ।
3. उप-सचिव(नीति), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली सिटी सेन्टर-II भवन, बी विंग, चौथा तल, जल सिंह रोड़, नई दिल्ली-110001

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 06.07.2023 को आयोजित 87वीं बैठक में लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई।

क्र.सं.	निर्णय	की गई कार्रवाई
1.	धारा 3(3) तथा नियम 5 का शत-प्रतिशत अनुपालन किया जाना।	वर्तमान में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के सभी अनुभाग धारा 3(3) और नियम-5 का अनुपालन कर रहे हैं।
2	हिन्दी मूल पत्राचार	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के अनुभागों के मूल हिन्दी पत्राचार का प्रतिशत, राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार बढ़ाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। अनुभागों के मूल हिन्दी पत्राचार का विवरण क्रमश: **अनुबंध-।।** में दिया गया है।
3.	मूल हिंदी पत्राचार का प्रतिशत को बढ़ाने के लिए अध्यक्ष महोदय का सदस्यों को निदेश	इस मद पर विभाग के जिन अनुभागों मूल हिंदी का पत्राचार का प्रतिशत कम है, उन्हें आर्थिक सहालकार एवं राजभाषा प्रभारी (रा.भा.) की ओर से पत्राचार का प्रतिशत बढ़ाने का निदेश दिया गया है।

*****

भारत सरकार

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

*****

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय की राजभाषा समिति की होने वाली 88वीं बैठक की कार्यसूची

मद सं.	विषय
1.	जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 06.07.2023 को संपन्न बैठक के कार्यवृत की पुष्टि।
2.	दिनांक 06.07.2023 को संपन्न बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई। **(अनुबंध-I)**
3.	क्रमशः दिनांक 30.06.2023, 31.03.2023, 31.12.2022 तथा 30.09.2022 को समाप्त तिमाहियों के आधार पर जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग में हिंदी के प्रयोग की अनुभाग-वार तुलनात्मक स्थिति। **(अनुबंध-II)**
4.	राजभाषा विभाग द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में विचारणीय मुद्दों के रूप में निर्धारित विषयों अर्थात धारा 3(3) के अंतर्गत सभी कागजात द्विभाषी जारी करने के बारे में विचार विमर्श।
5.	राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार हिन्दी पत्राचार के लक्ष्यों को प्राप्त करने पर विचार-विमर्श।
6.	हिंदी की प्रगामी प्रयोग से संबंधित तिमाही रिपोर्ट भरने से संबंधित कार्यशाला का आयोजन।
7.	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कोई अन्य मद।

*****